

कार्यालय नगर पालिका परिषद पोरसा जिला मुरैना (म.प्र.)

NIT No. 558 /UADD/2026/PORSA/E-TENDERING

पोरसा, दिनांक - 11/05/26

ऑनलाइन निविदा आमंत्रण सूचना (द्वितीय आमंत्रण)

एतद् द्वारा केन्द्रीयकृत प्रणाली के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत रामस्त ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि इस निकाय द्वारा अधोलिखित कार्यो हेतु ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदाये आमंत्रित की जाती है। नीचे दर्शित तालिका अनुसार कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा दिनांक 01/06/2026 सांय 05:30 बजे तक आमंत्रित की जाती है।


क्र.	कार्य का नाम	कार्य की लागत	टेंडरकमांक	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र मूल्य	कार्य की समयवधि
1	वार्ड नं. 08 में बर चौराहे से बडे जैन मंदिर तक सी.सी. रोड व नाली निर्माण कार्य।	05.75 लाख	2026UAD-508166-1	57501	2000/-	1 माह

शर्त :-

- निविदा प्रपत्र एवं दर ऑफर ऑनलाइन निविदा प्रकाशन से दिनांक 01/06/2026 को सांय 05:30 बजे तक प्रस्तुत की जा सकती है।
- निविदा हेतु लिफाफे जिसमें प्रथम लिफाफा (Envelope-A), निर्धारित अमानत राशि की ऑनलाइन ट्रान्जेक्शन रिसीप्ट/NEFT/RTGS SYSTEM GENERATE CHALLAN प्रति एवं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एवं 200 रुपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप में एफीडेविट, जी.एस.टी. फार्म एच., तथा अन्य निविदा प्रपत्र में दिये गये अन्य दस्तावेज ऑनलाइन अंतिम तिथि 01/06/2026 को शाम 05:30 तक ऑनलाइन सबमिट करें। फिजीकल बिड की आवश्यकता नहीं है।
- (Envelope-A) मेन्डेटरी दस्तावेज एवं अन्य नियत दस्तावेज ऑनलाइन ऑपन दिनांक 01/06/2026 सांय 05:30 बजे से।
- संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक 3974 दिनांक 19/07/2017 के प्रतिशत दर निविदा प्रपत्र में किये गये संशोधन मान्य होंगे।
- जी. एस. टी के सम्बंध में संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल के आदेश मान्य होंगे।
- मंत्रालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक 1244 दिनांक 03/02/2023 अव्यवहारिक निविदाओं में Additional Performance Security से संबंधित आदेश मान्य होंगे।
- आई.एस.एस.आर. से 10 प्रतिशत कम दर प्राप्त होने की स्थिति में कार्य लागत की अंतर की राशि बिड डाटा शीट की शर्त कमांक 22 के अनुसार अनुबंध पूर्व जमा करना होगी।
- सी.सी.रोड निर्माण की क्रस्ट डिजाईन, लेबिल्स बीडियोग्राफी, सीमेंट कॉक्रीट एम-30 की मिक्स डिजाईन तथा सीमेंट कॉक्रीट कार्य के सैंपल की टेस्टिंग शासकीय एवं एन.ए.वी.एल. प्रयोगशाला में सीमेंट कॉक्रीट एम-30 की कोर कटिंग ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर करानी होगी। टेस्ट रिपोर्ट कंटिंग की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही ठेकेदार को भुगतान किया जावेगा।
- परफोर्मेंस गारण्टी के संबंध में अपेन्डिक्स 2.10 के प्रावधान पालनीय होंगे। देयक से रोके गये एस.डी. एवं परफोर्मेंस गारण्टी नियमानुसार डिफेक्ट लाईबिलिटी पीरियड खत्म होने के उपरांत मुक्त की जावेगी।
- अनुबंध संपादन के समय कार्य की लागत का 03 प्रतिशत बैंक गारण्टी 03 प्रतिशत बैंक गारण्टी/एफ.डी.आर जमा करनी होगी।
- म.प्र. राजपत्र दिनांक 13 अगस्त 2018 में नगरीय निकाय के निर्माण कार्यो की लिये वर्णित नियम लागू होंगे।
- म.प्र. नगर पालिका लेखा नियम 2018 के नियम 111 के अनुसार प्रत्येक चलदेयक से 10 प्रतिशत राशि अंतिम देयक से रोकी जावेगी।
- अनुबंध के समय निविदा में संलग्न 200/- रुपये के स्टाम्प पर शपथ-पत्र की मूलप्रति प्रस्तुत करना होगी।
- शासन से राशि प्राप्त होने के पश्चात ही भुगतान किया जावेगा। इसमें ठेकेदार का किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
- कार्य के देयकों से शासन नियमानुसार निर्धारित कटौती किये जावेगे।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद पोरसा

- जिस निविदा दाता की दर न्यूनतम होगी एवं निकाय द्वारा स्वीकृत की जाएगी, को अनुबंध निष्पादन के लिए अनुबंध सूचना प्राप्त के 15 दिवस के अंदर अनुबंधन निष्पादन हेतु उपरिथत होना अनिवार्य होगा, समयाविधि में उपरिथत न होने की स्थिति में संबंधित की स्वीकृत दर स्वतः ही निरस्त की जावेगी, जिसके लिये संबंधित को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी। समयाविधि का विशेष ध्यान रखें।
17. उपरोक्त वर्णित कण्डिकाएँ अनुबंध का हिस्सा होंगी।
 18. उपरोक्त निविदा का प्रकाशन नगरीय प्रशासन की वेबसाईट www.mpurban.gov.in पर अवलोकन कर सकते हैं।
 19. निविदा में किया गया कोई भी संशोधन उक्त वेबसाईट www.mptenders.gov.in पर किया जावेगा। पृथक से कोई भी प्रकाशन नहीं किया जावेगा। अतः संबंधित जानकारी उक्त वेबसाईट पर देखी जावें, निविदा से संबंधित अन्य जानकारी कार्यालयीन समय में संबंधित शाखा में देखी जा सकती हैं। उपरोक्त निविदा सूचना विभाग की वेबसाईट www.mpurban.gov.in पर देखी जा सकती है।


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद पारसी
नगर पालिका परिषद पारसी